



## अधिसूचना

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-466/सत्तर-3-2024 दिनांक 26 फरवरी, 2024 के पत्र के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत समस्त विद्यार्थियों की **ABC/APAAR ID (Academic Bank of Credit/Automated Permanent Academic Account Registry ID)** बनायी जानी है।

तदक्रम में इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश के क्रम में मा0कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों की **ABC/APAAR ID (Academic Bank of Credit/Automated Permanent Academic Account Registry ID)** एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल (<https://www.abc.gov.in>) पर बनाने की कार्यवाही करने के निर्देश विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-1063/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2023-24 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा दिये गये थे।

सूच्य है कि विद्यार्थियों की आई0डी0 **ABC/APAAR ID (Academic Bank of Credit/Automated Permanent Academic Account Registry ID)** एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर निर्मित की जानी है जिसके लिए **आधार कार्ड** अनिवार्य है, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अन्य देश की नागरिकता धारण करने वाले छात्रों का परीक्षा फार्म पूरित करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि विदेशी छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, आधार के अभाव में **ABC/APAAR ID** निर्मित नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए छात्रहित में मा0कुलपति जी के आदेशानुसार विदेशी नागरिकता धारण करने वाले छात्रों/विदेशी छात्रों को परीक्षा फार्म में **ABC/APAAR ID** भरने की बाध्यता से मुक्त किया जाता है। ऐसे छात्रों का परीक्षा फार्म भरते समय उनके देश जैसे-नेपाल को सलेक्ट करने के उपरान्त **ABC/APAAR ID** का विकल्प स्वतः हट जायेगा।

तदक्रम में कतिपय महाविद्यालयों के द्वारा अधिकतम छात्रों के परीक्षा फार्म पूरित कर दिया गया है, किन्तु कुछ छात्रों के आधार ना होने अथवा मोबाइल नम्बर मिस-मैच की समस्या से **ABC/APAAR ID** जनरेट नहीं हो पा रहा है, उक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे विशेष प्रकृति/श्रेणी के छात्रों को अस्थायी रूप से छात्रहित में मा0कुलपति जी के अनुमति के क्रम में **ABC/APAAR ID** भरने की बाध्यता को इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि परीक्षा उपरान्त जबतक सम्बन्धित छात्र का **ABC/APAAR ID** विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पृथक लिंक पर जब तक नहीं भरा जायेगा उसका परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया जायेगा।

नोट- जिन छात्रों का परीक्षा फार्म में महाविद्यालय द्वारा ए0बी0सी0 आई0डी0 के स्थान पर **गलत आई0डी0/फेक आई0डी0** भरी गई है ऐसे समस्त छात्रों का परीक्षा परिणाम रोका जायेगा।

कुलसचिव  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु  
सिद्धार्थनगर

पत्रांक: 1154/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2023-24

दिनांक: 10/04/2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं समस्त विभागाध्यक्ष परिसर।
2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
3. उपकुलसचिव (परी0), सि0वि0वि0।
4. निजी सचिव, कुलपति, मा0कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. कोडिंग प्रभारी को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालय की लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. पत्रावली।

कुलसचिव  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु  
सिद्धार्थनगर